


हंगरी- भागीदार लिटे 3 जन- 128/2019

08-01-26


आज्ञा पत्र

वकील अपीलान्त के प्रार्थना-पत्र पर पतावली आज पेश लकी गई।

वकील अपीलान्त ने उपस्थित होकर अपीलान्त के अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलान्त से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फौजदारी शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तत्तीव तकमील खारिज कर देते हैं।



सू-प्रमुख अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Note press


8/1/2026